

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B.Criminal misc. Suspension of Sentence Application No-
2256/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1690/2024

Rajpal Son Of Jawanaram, Resident Of Dabadiya Police Station
Gacchhipura, District Nagaur (Rajasthan) (At Present In Central
Jail Ajmer)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री श्याम बिहारी गौतम

For Respondent(s) : श्री विजय सिंह यादव, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

09-02-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण और अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-01, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-13/2021, सरकार बनाम राजपाल वगैरह में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 22.07.2024 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बारह वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है,

अपीलार्थी लगभग साढ़े पांच वर्ष से अधिक सजा भुगत चुका है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा।

उनका यह भी तर्क रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, मनोहर लाल ऐनानी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** के मामलों में लंबी हिरासत के कारण जमानत देने की अवधारणा पर विचार किया था, **मनोहर लाल (सुप्रा)** के मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए पांच साल से अधिक की हिरासत अवधि को पर्याप्त माना गया था। प्रस्तुत अपील के शीघ्र निस्तारण की सम्भावना क्षीण है, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि 5 वर्ष 5 माह से अधिक हो चुकी है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **09.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **राजपाल पुत्र जवानाराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J